2020
00171

सरवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख पैशी
प्रा॰पत्र	172/020	8/10/020	बामणियां	फैसल 20/5/22		10/12/020 25/2/21 29/4/21 6/7/21 27/9/21 20/1/22 28/4/22 26/5/22

श्री देबी लाल पिता श्रीकिशन कुमावत ... जगदीश पिता मोहन लाल
निवासी जोरावर पुरा ... खटीक निवासी बनेड़ा
वर्गी. सं. 2 वर्गी. सं. 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

... 198 एम. आर. एक्ट

FORM No. III

App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

देवीलाल कुमावत बनाम श्री जगदीश खटीक

मुकदमा 111, 128 एल. आर. एक्ट नं. 172 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/10/020	वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 10/12/020 को पेश हो।	
10/12/20	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/2/21 को पेश हो। आज्ञा से	
25/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/5/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
29/5/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी
२१	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक २१/९/२१ को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
दिनांक १०/२१	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक २०/१/२२ को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
१/२२	पत्रावली पेश हुई कोविड उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक २४/५/२२ को पेश हो। आज्ञा से रीडर	

सेवामें,

श्रीमान

बनेड़

प्र

1. देबी लाल

जोरावरपु

2. मोहन ल

जोरावरपु

1. जगदी

2. श्याम

नोहरे

3. शिव

बैंक

4. नन्

त

5. र

6.

7.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म 172 /2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **सरदारनगर** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थीगण** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थीगण** द्वारा ग्राम **बामणिया** पटवार हल्का **बामणिया** जमाबंदी संवत् **2070 से 2073** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी/सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थीगण** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प सरदानगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 172 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–2 देबी लाल, मोहन लाल पुत्र श्री किशन कुमावत निवासी जोरावरपुरा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– जगदीश पुत्र सोहन लाल खटीक निवासी बनेड़ा
2– श्यामपुरी पुत्र अम्बापुरी गोस्वामी निवासी मालियां के नोहरे के पीछे कलकीपुरा नेहरू रोड़ भीलवाड़ा
3– शिवपुरी पुत्र हेमपुरी गोस्वामी निवासी पीएनबी बैंक के सामने वाली गली नेहरू रोड़ भीलवाड़ा
4–7 नन्दराम, रामकिशन, उगमा, श्रीकिशन पुत्र उदा कुमावत निवासी जोरावरपुरा
8–9 जगदीश, शिवलाल पुत्र धन्ना जाट निवासी सरदारनगर
10– भैरू पुत्र नन्दा जाट निवासी सरदारनगर
11– सोहन पुत्र रामजी कुमावत निवासी सरदारनगर
12– एस.बी.आई. बैंक शाखा सरदारनगर
13– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **बामणिया** भू०अ०नि० **सरदारनगर** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748** कुल **किता 22** रकबा **22–04 बीघा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073** ग्राम **बामणिया** भू०अ०नि० **सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748 कुल किता 22 रकबा 22–04 बीघा** भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातदेारी खातेदार है। **प्रार्थीगण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम बामणिया भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748 कुल किता 22 रकबा 22–04 बीघा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को **2300/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर [illegible] कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में [illegible] पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प सरदारनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 172 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–2 देबी लाल, मोहन लाल पुत्र श्री किशन कुमावत निवासी जोरावरपुरा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– जगदीश पुत्र सोहन लाल खटीक निवासी बनेड़ा
2– श्यामपुरी पुत्र अम्बापुरी गोस्वामी निवासी मालियां के नोहरे के पीछे कलकीपुरा नेहरू रोड़ भीलवाड़ा
3– शिवपुरी पुत्र हेमपुरी गोस्वामी निवासी पीएनबी बैंक के सामने वाली गली नेहरू रोड़ भीलवाड़ा
4–7 नन्दराम, रामकिशन, उगमा, श्रीकिशन पुत्र उदा कुमावत निवासी जोरावरपुरा
8–9 जगदीश, शिवलाल पुत्र धन्ना जाट निवासी सरदारनगर
10– भैरू पुत्र नन्दा जाट निवासी सरदारनगर
11– सोहन पुत्र रामजी कुमावत निवासी सरदारनगर
12– एस.बी.आई. बैंक शाखा सरदारनगर
13– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **बामणिया** भू०अ०नि० **सरदारनगर** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748** कुल **किता 22** रकबा **22–04 बीघा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम बामणिया भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748 कुल किता 22 रकबा 22–04 बीघा** भूमि प्रार्थीगण के नाम से होकर संयुक्त खातदोरी खातेदार है। **प्रार्थीगण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम बामणिया भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1720, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1745, 1746, 1747, 1748 कुल किता 22 रकबा 22–04 बीघा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को **2300/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा [illegible] है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में [illegible] पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा